राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	3294 / 2023 कंचन सोनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, नागौर। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन बीआरसीएफ समग्र शिक्षा, नागौर। 5. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Alay, ब्लॉक नागौर, जिला नागौर (राज.)। 6. Anita Jhuria, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Alay, ब्लॉक नागौर, जिला नागौर (राज.)।	12.12.2023	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	3295 / 2023 प्रिया गौड़	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 5. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, श्री बालाजी नं. 1, जिला नागौर (राज.)। 6. मनवीर सिंह चम्पावत, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, श्री बालाजी नं. 1, जिला नागौर (राज.)।		

आदेश की दिनांक : 21.12.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3294 / 2023 कंचन सोनी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.10.2023, 09.10.2023 एवं 10.10.2023 तथा आदेश दिनांक 28.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर संत बलरामदास शास्त्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, संख्या 2 नागौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अधिशेष किए जाने पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अलाय से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यव्यवस्थार्थ हेतु आगामी आदेशों तक के लिए लगाया गया। उनका कथन है कि कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन को राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने स्थाई आदेश/परिपत्र दिनांक 27.06.1991, 15.02.2003, 19.04.2008 एवं 22.09.2014 जारी करके कार्य व्यवस्था एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा डॉ. कैलाश चन्द्र गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7341/2017 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 14.09.2017 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"1. Impugned order dated 24.05.2017 does not bring out whether the petitioner is being transferred from the current place of posting to the Primary Health Centre,*
> *Koliyari District Udaipur. The order records it to be a case of working arrangement. What does that mean is not clear. Should the respondents in the exigency of service require a person to be posted at a particular hospital or a dispensary, the order must bring out that the order is a transfer order.*
>
> *2. The reason is that when a government servant is transferred he is entitled to a transfer allowance. He is entitled to avail a period to join at the place of transfer after being relieved from current place.*
>
> *3. I dispose of the petition quashing the impugned order dated 24.05.2017, operation whereof was stayed by this Court.*
>
> *4. I clarify, the Respondents would be free to pass a proper order should one be passed against the petitioner."*

इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 08.10.2023, 09.10.2023 एवं 10.10.2023 तथा आदेश दिनांक 28.07.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जबाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश की

पालना में दिनांक 10.10.2023 को कार्यग्रहण कर लिया है और इस प्रकार अपीलार्थी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भर्ती उपरांत शिक्षकों को विद्यालयों में पदस्थापित किए गए और पूर्व से कार्यरत शिक्षक अधिशेष हो गए और अधिशेष शिक्षकों को कार्यव्यवस्थार्थ लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जो नियमों के अनुरूप हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर संत बलरामदास शास्त्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, संख्या 2 नागौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अधिशेष किए जाने पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अलाय से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यव्यवस्थार्थ हेतु आगामी आदेशों तक के लिए लगाया गया। जहां तक अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2023 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नागौर में कार्यव्यवस्थार्थ के आधार पर लगाए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी कार्यग्रहण कर चुका है और कार्यग्रहण उपरांत अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। हमारे विनम्र मत में किसी भी कार्मिक को विभाग द्वारा जारी आदेश की पालना करना उसका कर्त्तव्य है, परंतु वर्तमान प्रकरण में विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वह राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने स्थाई आदेश/परिपत्र दिनांक 27.06.1991, 15.02.2003, 19.04.2008 एवं 22.09.2014 जारी करके कार्य व्यवस्था एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी डॉ. कैलाश चन्द्र गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7341/2017 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 14.09.2017 में ऐसे पदस्थापन को अनुचित माना है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किए गए आलोच्य आदेश नियमों एवं विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 08.10.2023, 09.10.2023 एवं 10.10.2023 तथा

आदेश दिनांक 28.07.2023 को अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त फरमाए जाते हैं एवं अपीलार्थीगण को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त कर चुनौती आदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थीगण जहां कार्यरत थे वहीं पर कार्यरत रखा जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 3294/2023 कंचन सोनी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 3295/2023 प्रिया गौड़ में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य